भामाब/प्रपत्र/मुख्यालय/वित्त/1/2023

भारतीय मानक ब्यूरो

(वित्त विभाग)

संदर्भ :वित्त/11:4/जी.पी.एफ 07.03.23

विषय: वर्ष 2023 -24 के लिए सामान्य भविष्य निधि का अंशदान

सामान्य भविष्य निधि नियम, 1960 के नियम 8 (4) को निम्नानुसार अक्षरश: प्रस्तुत किया गया है:

"इस प्रकार निर्धारित अभिदान की राशि को

(क) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार कम किया जा सकता है;

(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है; या

(ग) पूर्वोक्त के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है :

बशर्ते कि जब सदस्यता की राशि इस प्रकार कम की जाती है, तो यह उप-नियम **8(1)** में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होनी चाहिए यानी परिलब्धियों का **6%** " |

तदनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के सभी अधिकारी/कर्मचारी, जो जीपीएफ अभिदान की राशि को संशोधित करना चाहते हैं, वित्त विभाग के पूर्व परिपत्र संख्या भामाब/प्रपत्र/मुख्यालय/वित्त/12/2022 दिनांक 20.10.2022 और भामाब/प्रपत्र/मुख्यालय/वित्त/13/2022 दिनांक 14.11.2022 का अवलोकन करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि अभिदान की राशि एक वित्तीय वर्ष मे रुपये पाँच लाख से अधिक ना हो, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मासिक अभिदान की राशि निम्नलिखित प्रारूप में वित्त विभाग को **17 मार्च 2023** तक भेज दें

क्रमांक **Sl. No.**	**कर्मचारी संख्या Employee No.**	**नाम और पदनाम Name & Designation**	**अंशदान की राशि Amount of Subscription(Rs) 5.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं**	हस्ताक्षर **Signature**

हस्ता

(**गुरप्रीत सिंह**)

निदेशक (वित्त)

इंट्रानेट के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो के सभी अधिकारीगण एंवम कर्मचारीगण को सूचनार्थ एंवम अनुपालन हेतु परिचालित

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग -भारतीय मानक ब्यूरो के इंट्रानेट पर डालने के

BIS/FIN/HQ/CIRCULAR(1)/2023

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(FINANCE DEPARTMENT)

Our Ref: FIN/11:4/GPF 07.03.23

Subject: GPF Subscription for the year 2023-24

Rule 8(4) of General Provident Fund Rules, 1960 is reproduced as under:

"The amount of subscription so fixed may be-
(a) reduced once at any time during the course of the year;
(b) enhanced twice during the course of the year; or
(c) reduced and enhanced as aforesaid:
Provided that when the amount of subscription is so reduced, it shall not be less than the minimum prescribed in sub-rule (1) i.e. 6% of the emoluments"

Accordingly, all officials of BIS, who wish to modify the amount of GPF subscription, may send their request for the financial year 2023-24 to the Finance Department by **17 March 2023**, in the following format, ensuring that the amount of subscription does not exceed Rs. Five lakhs in the financial year (as per the instructions of Finance Department's Circulars No. BIS/FIN/HQ/Circular(13)/2022 dated 20.10.2022 and BIS/FIN/HQ/Circular(12)/2022 dated 14.11.2022:

क्रमांक **Sl. No.**	कर्मचारी संख्या **Employee No.**	नाम और पदनाम **Name & Designation**	अंशदान की राशि **Amount of Subscription (Rs.) Not exceeding Rs. 5.00 lakhs per annum**	हस्ताक्षर **Signature**

Sd/-
(Gurpreet Singh)
Director (Finance)

Circulated through BIS Intranet to all Officers and Staff of BIS – for information and compliance

Copy to: ITSD for uploading on BIS INTRANET